रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.


# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

### हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2005/9 पौष, 1927


## हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 30 दिसम्बर, 2005

संख्या पीसीएच–एचए(1)18/2000–II.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2005 का प्रारूप, आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186 के उपबंधों के अधीन, सरकार की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 19 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अधिसूचना

4061–राजपत्र/2005–30–12–2005—1,483. (5627) मूल्य: एक रुपया।

संख्या पी0सी0एच0–एच0ए0(3)6/94, दिनांक 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

संक्षिप्त नाम। 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2005 है ।

नियम 84 का संशोधन । 2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है), के प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ में शब्द और अंक **"rule 81"** के स्थान पर **"rule 83"** शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

अध्याय 8–क का अन्तःस्थापन। 3. उक्त नियमों के अध्याय 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्––

## अध्याय 8–क
## ग्राम पंचायत के उप–प्रधान का निर्वाचन

**84–क. निर्वाचन के लिए बैठक.**––(1) सम्बन्धित उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) या उस द्वारा पंचायत सचिव के सिवाए, प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के दिवस को इसके प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों को, यथाशक्य सम्भव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 22 के उप–नियम (2) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात् अपनी अध्यक्षता में (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों की उनमें से एक सदस्य को ग्राम पंचायत का उप–प्रधान चुनने के लिए एक बैठक बुलाएगा:

परन्तु यह कि उप–प्रधान के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर, ऐसी रिक्ति की घोषणा होने के सात दिन के भीतर पीठासीन अधिकारी अपनी अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों की उनमें से एक सदस्य को ग्राम पंचायत का उप–प्रधान चुनने के लिए एक बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह और कि अधिक कठोर प्राकृतिक विपति या हिमाचल प्रदेश में सुसंगत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति अथवा दूसरे देश द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध या आक्रमण द्वारा प्रभावित होने पर या मानव नियन्त्रण से परे किसी अन्य कारण से यदि सात दिन के भीतर ऐसी बैठक धारित करनी संभव न हो तो, सरकार, सात दिन के बाद किन्तु तीस दिन के बाद नहीं, ऐसी बैठक धारित करने को अनुज्ञात कर सकेगी ।

(2) पीठासीन अधिकारी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रारूप–39–क में, कार्यवाहियों में भाग लेने को, नोटिस जारी करेगा ।

(3) ऐसे नोटिस की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(4) नोटिस उनके स्थाई पते पर बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व प्रेषित किया जाएगा और इसमें बैठक की तारीख, समय, स्थान और प्रयोजन अन्तर्विष्ट होंगे ।

(5) उप–नियम (1) के अधीन उप–प्रधान के पद के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से होगी । यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् दो घण्टों के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी । गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन होने पर, प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी । द्वितीय बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत से होगी ।

(6) उप–प्रधान के पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी लिखित में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्ररूप–39–ख में प्रस्तावक के रूप कम से कम एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे । किसी भी सदस्य को एक से अधिक अभ्यर्थी के प्रस्तावक की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । नामनिर्देशन पत्र बैठक शुरू होने के पश्चात् एक घण्टे के भीतर पीठासीन अधिकारी को परिदत्त किए जाएंगे । इन नियमों के उल्लंघन में अभिदत्त और परिदत्त कोई नामनिर्देशन पत्र

अविधिमान्य होगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी हैसियत में घोषित किया जाएगा ।

(7) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा पीठासीन अधिकारी द्वारा सदस्यों की उपस्थिति में नामनिर्देशन पत्रों को परिदत्त करने के लिए अनुज्ञात एक घण्टे के अवसान के पश्चात् की जाएगी । किसी नामनिर्देशन पत्र से सम्बन्धित कोई आक्षेप पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, जो समुचित विचार कर प्रत्येक नामनिर्देशन को स्वीकार या नामंजूर करेगा । किसी को नामंजूर करने की दशा में वह उसके कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(8) बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक में––

(क) अभ्यर्थियों के नाम जिनके नाम निर्देशन पत्र अविधिमान्य घोषित किए गए हैं और उसके कारणों को पढ़ेगा; और

(ख) सम्यक् रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों के नामों को पढ़ेगा।

(9) (i) यदि निर्वाचन के लिए सिर्फ एक ही अभ्यर्थी है तो वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(ii) यदि किसी भी पद के लिए कोई भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया या किसी भी पद के लिए किसी भी अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से नाम निर्देशित नहीं किया गया है या सभी अभ्यर्थी जिन्होंने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं, ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापिस ले लिए हैं, तो ऐसे तथ्य की रिपोर्ट सम्बन्धित उपायुक्त को, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पद को भरने के लिए, आगामी कार्रवाई करने के लिए भेजेगा।

(10) यदि अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा धारित किया जाएगा ।

(11) पीठासीन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को, देवनागरी लिपि में हिन्दी वर्णक्रम लिखे उनके नाम के सन्दर्भ में, क्रम संख्या समुनुदेशित करेगा ।

(12) पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित प्ररूप में तैयार किए गए मतदान पत्र कारित करेगा ।

## मतदान–पत्र

गाम पंचायत.....के उप–प्रधान के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का नाम.....विकास खण्ड.....जिला.....

1.

2.

3.

.....

तारीख.....

बैठक के पीठासीन अधिकारी की
कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर

(13) मतदान–पत्र बैठक के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और एक–एक पत्र प्रत्येक सदस्य को सौंपा जाएगा जो उस अभ्यर्थी के सामने क्रास (x) का चिन्ह लगाएगा जिसके लिए वह मत देने की बांछ रखता हो। यदि सदस्य निरक्षरता अन्धेपन या उसकी शारीरिक शैथिल्य के कारण अपना मत अभिलेखन करने में असमर्थ है, तो बैठक का पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य की

इच्छा के अनुसार मत पत्र पर मत अभिलेखन करेगा । मतदान–पत्र सदस्य द्वारा न तो हस्ताक्षरित किया जाएगा, न ही किसी अन्य रूप से चिन्हित किया जाएगा जिससे उसकी पहचान प्रकट होती हो । यदि मतदान–पत्र इस प्रकार हस्ताक्षरित, चिन्हित या विकृत किया गया है, तो मत शून्य होगा ।

(14) मतपत्र इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध बाक्स (मतपेटी) में डाला जाएगा ।

(15) (i) मत–दान समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्, पीठासीन अधिकारी उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मत–पत्रों से अन्तर्विष्ट बाक्स (मतपेटी) को खोलेगा, उनकी गणना करेगा और कथन में उनकी संख्या अभिलिखित करेगा।

(ii) मत–पत्र अविधिमान्य होगा :—

(क) यदि इसके (ऊपर सदस्य के हस्ताक्षर या कोई शब्द अन्तर्विष्ट है, या कोई दृश्य रूपण जिसके द्वारा उसकी पहचान की जा सके; या

(ख) यदि उसके ऊपर एक से अधिक अभ्यार्थियों के सामने के स्थानों पर चिहनांकित किया है; या

(ग) यदि चिन्ह उस पर ऐसे स्थान पर है जो वह सन्देह पैदा करता हो कि जिसके लिए एक या दो या अधिक अभ्यर्थियों को मत देना आशयित हो रहा था; या

(घ) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया है; या

(ङ) यदि उसके ऊपर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(16) मतदान के अन्त में पीठासीन अधिकारी, अभ्यर्थी जिसने मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त की है, को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा ।

(17) मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन पीठासीन अधिकारी द्वारा निकाले गए लाट द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

(18) पीठासीन अधिकारी बैठक में आदेश रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन ऋजुपूर्वक संचालित किए है ।

(19) बैठक के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारः—

(क) बैठक की कार्यवाहियों के अभिलेख तैयार करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा । बैठक में किसी सदस्य को ऐसे अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर, यदि वह इस प्रकार की बांछ रखता है, करने को अनुज्ञात करेगा; और _

(ख) ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर, अधिनियम की धारा 126 के उपबन्धों के अनुसार विहित प्राधिकारी के रूप में उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप–39–ग में उप–प्रधान के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के नाम का कथन करते हुए, नोटिस प्रकाशित करेगा, और ऐसे नोटिस की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजेगा।

(20) (क) पीठासीन अधिकारी निर्वाचन से सम्बन्धित गणना किए और अस्वीकृत किए गए मत पत्रों के अलग–अलग पैकेट बनाएगा, प्रत्येक पैकेट को सीलबन्द करेगा और इसकी विषय–वस्तु का विवरण, निर्वाचन जिससे यह सम्बन्धित है, और उसकी तारीख उसके ऊपर नोट करेगा । इस प्रकार सीलबन्द किए पैकेट खोले नहीं जाएंगे और उनकी विषय–वस्तु को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सिवाए निरीक्षण और प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

(ख) मतपत्र एक वर्ष के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेंगे और उसके पश्चात् तब तक, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निदेशित या लम्बित विधिक कार्यवाहियों तक, नष्ट नहीं किए जाएंगे ।

नियम 85 का संशोधन

4. उक्त नियमों के नियम 85 में,—

(क) उप–नियम (1–क), के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम (1–ख) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1–ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति होने की घोषणा के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्रता से किन्तु सात दिनों के पश्चात् नहीं, सम्बद्ध उपायुक्त या पंचायत समिति के सचिव के सिवाय, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अध्यक्षताधीन, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों को निर्वाचित करने के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगा :

परन्तु अधिक कठोर प्राकृतिक विपत्ति या हिमाचल प्रदेश में सुसंगत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति अथवा दूसरे देश द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध या आक्रमण द्वारा प्रभावित होने पर या मानव नियन्त्रण से परे किसी अन्य कारण से यदि सात दिन में ऐसा निर्वाचन धारित करना सम्भव न हो तो, सरकार, ऐसी प्रश्नगत रिक्ति होने के पश्चात् सात दिन के बाद किन्तु तीस दिन के बाद नहीं, ऐसा निर्वाचन धारित करने को अनुज्ञात कर सकेगी।"

(ख) उप–नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) उप–नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी । यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से होगी । यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् दो घण्टों के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। गणपूर्ति के

अभाव में बैठक का स्थगन होने पर, प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी । द्वितीय बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत से होगी''; और

(ग) उप–नियम (9) में खण्ड (2) का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 86 में,—— नियम 86 का संशोधन ।

(क) उप–नियम (1–क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम (1–ख) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्——

''(1–ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति होने की घोषणा के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्रता से किन्तु सात दिनों के पश्चात् नहीं, सम्बद्ध उपायुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद् के सचिव के सिवाय, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अध यक्षताधीन, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों को निर्वाचित करने के लिए, सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगा :

परन्तु अधिक कठोर प्राकृतिक विपत्ति अथवा हिमाचल प्रदेश में सुसंगत क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति अथवा दूसरे देश द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध या आक्रमण द्वारा प्रभावित होने पर या मानव नियन्त्रण से परे किसी अन्य कारण से यदि सात दिन में ऐसा निर्वाचन धारित करना सम्भव न हो तो, सरकार, ऐसी प्रश्नगत रिक्ति होने के पश्चात्, सात दिन के बाद किन्तु तीस दिन के बाद नहीं, ऐसा निर्वाचन धारित करने को अनुज्ञात कर सकेगी ।''

(ख) उप–नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :——

''(4) उप–नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए बुलाई गई बैठक के लिए

गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी । यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से होगी । यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् दो घण्टों के भीतर गणपूर्ति उपस्थित न हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी । गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन होने पर, प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी । द्वितीय बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत से होगी ।"; और

(ग) उप–नियम (9) में खण्ड (2) का लोप किया जाएगा ।

नियम 92 का प्रतिस्थापन ।

6. उक्त नियमों के नियम 92 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"92 निर्वाचन खर्चों के लेखे और उसकी अधिकतम सीमा.—(1) जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी, अधिनियम की धारा 121–क की उप–धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर में प्ररूप–44 में निर्वाचन के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन के आधार पर पृथक और सही लेखा बनाएगा:

परन्तु जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन पर, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उपगत किए जाने वाले खर्चों की अधिकतम सीमा तीस हजार रुपए होगी ।

(2) उप–नियम (1) के अधीन वर्णित रजिस्टर पर उपगत और अभिलिखित किए गए खर्चों के समर्थन में सभी दस्तावेजों जैसे कि वाऊचरों, प्राप्तियों और अभिस्वीकृतियों इत्यादि को सही रूप में बनाए रखेगा । प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य अधिकारी को जब कभी ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, रजिस्टर के साथ सम्बद्ध दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाएगा ।

(3) निर्वाचन खर्चों का लेखा प्ररूप–45 में निर्वाचन खर्चों के ब्यौरे के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), को प्ररूप–44 में प्रस्तुत करेगा । निर्वाचन खर्चे का लेखा प्ररूप–46 में घोषणा द्वारा समर्थित होगा ।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन के खर्चे के लेखे की प्ररूप–47 में अभीस्वीकृति करेगा ।"

7. उक्त नियमों के साथ संलग्न प्ररूप–2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— प्ररूप–2 का प्रतिस्थापन ।

"प्ररूप–2

[नियम 18(1) और 24 देखें]

**नाम सम्मिलित करने के लिए दावा आवेदन**

प्रेषित :

पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी,

ग्राम पंचायत----------,

विकास खण्ड----------,

जिला----------, हिमाचल प्रदेश ।

महोदय,

मैं निवेदन करता / करती हूं कि मेरा नाम..... ग्राम पंचायत.....के लिए.....निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाए।

मेरा पूरा नाम .....

मेरे पिता / माता / पति का नाम .....

मेरे निवास स्थान का विवरण :—

मकान संख्या .....
गली/मुहल्ला/ग्राम .....
डाकघर .....
तहसील और जिला .....

मैं एतद्द्वारा अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास से घोषणा करता/करती हूं कि :—

(1) मैं भारत का/की नागरिक हूं ।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 14 के अधीन खण्ड (इ) द्वारा अधिसूचित तारीख को मेरी आयु.....वर्ष.....मास थी/होगी ।

(3) मैं प्रायः उपर्युक्त पता पर निवास करता/करती हूं ।

(4) मैंने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपने नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन नहीं किया है ।

(5) मेरा नाम हिमाचल प्रदेश में उक्त ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र या किसी अन्य ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

या

मेरा नाम ग्राम पंचायत ..... के वार्ड संख्या.....विकास खण्ड ....., जिला ....., की निर्वाचन नामावली के क्रमांक.....पर सम्मिलित किया गया है और मैं एतद्द्वारा निवेदन करता/करती हूं कि उसे निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

स्थान .....
तारीख.....

.....
दावेदार के हस्ताक्षर/निशान अंगूठा
(पूरा डाक पता) ।

मैं निर्वाचन नामावली के उसी भाग में सम्मिलित हूं जिसमें दावेदार ने सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन किया है, अर्थात्.....से सम्बन्धित भाग संख्या.....मेरा उसमें क्रमांक.....है । मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इसे प्रतिहस्ताक्षरित करता/करती हूं ।

.....

मतदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता.....

**घोषणा**

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मुझे जानकारी है कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सूचना किसी दशा में गलत साबित होती है तो मैं भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी ।

.....

दावेदार के हस्ताक्षर।

---

जो अनावश्यक हो उसके काट दें ।"।

प्ररूप–18 में संशोधन ।

8. उक्त नियमों के प्ररूप–18 में, "प्रस्तावक के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर "प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे ।

प्ररूप 39–क, 39–ख और 39–ग का जोडना ।

9. उक्त नियमों के प्ररूप–39 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:––

प्ररूप 39–क

[नियम 84–क (2) देखें]

**ग्राम पंचायत के उप–प्रधान का निर्वाचन**

सेवा में,

श्री / श्रीमती / कुमारी ..... सदस्य,

ग्राम पंचयात ..... विकास खण्ड .....

जिला ..... , हिमाचल प्रदेश।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 84–क के उप–नियम (1) के अनुसरण में, मैं, ..... (विहित प्राधिकारी), एतद्द्वारा नोटिस देता हूं कि ग्राम पंचायत की बैठक..... ..... (तारीख) को.....बजे ..... (स्थान) अधिनियम की धारा 8 के अधीन ग्राम पंचायत के उप–प्रधान के निर्वाचन को अभिनिर्धारित किया जाएगा।

विहित प्राधिकारी।

स्थान .....

तारीख.....

---

प्ररूप 39–ख

[नियम 84–क (6) देखें]

**ग्राम प्रचायत के उप–प्रधान के पद के लिए निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन पत्र का प्ररूप**

ग्राम पंचायत का नाम ..... अभ्यर्थी का पूरा नाम ..... मतदान सूची की विशिष्टियों सहित क्रम संख्या.....पिता / पति का नाम .....

पूरा पता .....

..... प्रस्तावक का नाम

प्रस्तावक के हस्ताक्षर।

स्थान .....

तारीख.....

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं नाम निर्देशन को सहमत हूं और मैं सेवा करने की इच्छा रखता/रखती हूं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

स्थान .....

तारीख.....

---

प्ररूप 39–ग

[नियम 84–क (19) (ख) देखें]

**ग्राम पंचायत के उप–प्रधान के परिणाम का प्रकाशन**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं .....
(पीठासीन अधिकारी/विहित प्राधिकारी)
जिला, एतद्द्वारा ग्राम पंचायत ..... विकास खण्ड
जिला ..... के उप–प्रधान के निर्वाचन परिणाम को

प्रकाशित करता हूं।

| क्रम संख्या | पिता/पति के नाम सहित नाम और पता | पद का नाम अर्थात् उप–प्रधान | निर्वाचित |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

स्थान

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी/विहित प्राधिकारी
(पूरे नाम और पदनाम सहित)।

10. उक्त नियमों के प्ररूप–41 में, "प्रस्तावक के हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर "प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर" शब्द रखे जाएंगे। प्ररूप–41 में संशोधन।

11. उक्त नियमों के प्ररूप–43 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–– प्ररूप–44, 45, 46 और 47 का जोड़ा जाना।

———————

प्ररूप 44

[नियम 92(1) और 92(3) देखें]

**निर्वाचन खर्चे का दिन प्रतिदिन का लेखा बनाए रखने और उसको प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप**

1. पंचायत का नाम .....
2. अभ्यर्थी का नाम .....

3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम .....

4. नामांकन फाईल करने की तारीख.....

5. परिणाम घोषित करने की तारीख.....

| क्र0 सं0 | खर्चे की तारीख | खर्चे का स्वरूप | खर्चे की राशि | | संदाय की तारीख | पाने वाले का नाम और पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संदत्त | परादेय | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| संदत्त रकम की दशा में वाऊचरों की संख्या | परादेय रकम की दशा में बिलों की संख्या | व्यक्ति जिसे परादेय रकम संदेय है, का नाम और पता | विवरण |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की सही प्रति है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ।

---

प्ररूप–45

[नियम 93(3) देखें]

**निर्वाचन खर्चों का ब्यौरा**

1. पंचायत का नाम.....
2. अभ्यर्थी का नाम.....
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
4. नामांकन फाईल करने की तारीख.....

5. परिणाम घोषित करने की तारीख.....

| खर्चे का मद | स्रोत जहां से धन उपाप्त किया गया | खर्चे की रकम | संदाय की तारीख | संदाय की रीति | लेखे के साथ संलग्न संदाय का साक्ष्य | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. प्रतिभूति निक्षेप पर खर्च। | | | | | | |
| 2. निर्वाचक नामावली की प्रतियां क्रय करने पर खर्च। | | | | | | |
| 3. घोषणा--पत्रों, विज्ञापनों और इश्तहारों को छपवाने पर खर्च। | | | | | | |
| 4. इश्तहारों को चिपकाने पर खर्च। | | | | | | |
| 5. विज्ञापनों को दीवार पर लिखने और प्रकाशन पर खर्च। | | | | | | |
| 6. सार्वजनिक बैठकों, पंडालों इत्यादि के लिए स्थानों के भाड़ा प्रभार। | | | | | | |
| 7. सार्वजनिक बैठकों के लिए लाऊड स्पीकरों के भाड़ा प्रभार। | | | | | | |
| 8. अभ्यर्थी द्वारा यान पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैंटस, मरम्मत इत्यादि के कारण भाडा प्रभार। | | | | | | |
| 9. निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रयोग किए यान पर मरम्मत और पेट्रोल, तेल तथा ल्यूब्रीकैंटस का भाडा प्रभार। | | | | | | |
| 10. उपर्युक्त सूचिबद्ध के अतिरिक्त अन्य विविध खर्चे। | | | | | | |

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

प्ररूप–46

[नियम 93(3) देखें]

**घोषणा प्ररूप**

..... (पंचायत का नाम) के ..... निर्वाचन क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... की घोषणा।

मैं, ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री आयु.....वर्ष.....निवासी ..... एतद्द्वारा सत्य निष्ठा प्रतिज्ञान करते हुए निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूं :––

1. यह कि मैं, ..... (पंचायत का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन/उप–निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी था/थी, जिसका परिणाम..... को घोषित किया गया था।

2. यह कि मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता ने उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में.....(की तारीख) और.....(उसके परिणाम की घोषणा की तारीख) दोनों तारीखें सम्मिलित करके, के बीच मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत सभी खर्चे का (.....पृष्ठों पर लगातार) पृथक और सही लेखा रखा है।

3. यह कि उक्त लेखा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 92 के अधीन विहित प्ररूप में बनाया गया था और उसकी सही प्रति उक्त लेखा में वर्णित समर्थन के रूप में वाऊचरों/बिलों के साथ इसमें उपाबद्ध है।

4. यह कि इसमें उपाबद्ध मेरे निर्वाचन खर्चे के लेखे के अन्तर्गत मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा प्राधिकृत या उपगत किए गए निर्वाचन खर्चे की सभी मदें हैं और उसमें से कुछ भी छिपाया या विद्यारित किया/दबाया नहीं गया है।

5. यह कि पूर्ववर्ती कथन के पैराग्राफ 1 से 4 में, मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सब सत्य है और कुछ भी मिथ्या नहीं है और कुछ भी सारवान् तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी।

आज तारीख.....20.....को मेरे ..... .....द्वारा समक्ष सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर/मुद्रा

जिला ..... , हिमाचल प्रदेश।

---

प्ररूप–47

[नियम 92(4) देखें]

**अभिस्वीकृति**

श्री ..... (निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी) .....

(निर्वाचन क्षेत्र) से जिसका परिणाम.....(तारीख) को घोषित किया गया था, उसके द्वारा फाईल किया निर्वाचन खर्चे का लेखा और समर्थित घोषणा, विहित प्ररूप पर मैंने आज.....(तारीख).....(मास).....(वर्ष) को प्राप्त कर ली है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

जिला ..... हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/–

प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

[*Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA*(1)18/2000-*II, dated* 30*th December,* 2005 *as required under clause (3) of Article* 348 *of the Constitution of India*].

**Panchayati Raj Department**

NOTIFICATION

*Shimla*-171 009, *the* 30*th December,* 2005

**No. PCH-HA(1)18/2000-II.**—Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2005 were published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra ordinary) for inviting objections and suggestions *vide* Government notification of even number on 19th December, 2005 under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;

And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified *vide* notification No.PCH-HA(3)6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 8th February, 1995, namely :—

**1.** These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment, Rules, 2005. Short title.

**2.** In rule 84 of the authoritative English text of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter called the 'said rules', for the word and figure "rule 81", the word and figure "rule 83" shall be substituted. Amendment of rule 84.

Insertion of Chapter VIII-A.

3. After Chapter VIII of the said rules, the following Chapter shall be inserted, namely :—

## CHAPTER VIII-A

## ELECTION OF UP-PRADHAN OF GRAM PANCHAYAT

**84-A. Meeting for election.**—(1) As soon as possible but not later than seven days after the oath or affirmation of allegiance under sub-rule (2) of rule 22 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 is administered or made to the members of the Gram Panchayat by its Pradhan on the day of the first meeting of the Gram Panchayat, the Sub-Divisional Officer (Civil) concerned or any other officer authorized by him in this behalf, except Panchayat Secretary shall call under his presidentship (hereinafter referred to as Presiding Officer) a meeting of all elected members of Gram Panchayat to elect one of its members to be the Up-Pradhan of the Gram Panchayat :

Provided that in the event of occurrence of casual vacancy in the office of Up-Pradhan, the presiding officer, within 7 days from the date of declaration of such vacancy, shall call under his presidentship a meeting of all elected members of Gram Panchayat to elect one of its members to be the Up-Pradhan of Gram Panchayat :

Provided further that if, owing to a natural calamity of great severity or a grave situation of law and order or a war or aggression by another country against India affecting the relevant area in Himachal Pradesh or any other cause beyond human control, it is not possible to hold such meeting within seven days, the Government may allow such meeting to be held after seven days but not later than thirty days.

(2) The Presiding Officer shall issue a notice to all the elected members of the Gram Panchayat to take part in the proceedings in Form 39-A.

(3) A copy of such notice shall be exhibited on the notice board of the office of the Gram Panchayat.

(4) The Notice shall be despatched at least five days before the date of meeting at their permanent addresses and shall contain the date, time, place and purpose of the meeting.

(5) Quorum for meeting for the purpose of election of Up-Pradhan under sub-rule (1) shall be two-third of the total elected members of the Gram Panchayat. If within two hours after the time appointed for the meeting, the quorum is not present, the meeting shall be adjoured. In the event of adjournment of the meeting for want of quorum, the second meeting shall be convened within ten days from the date of first meeting. Quorum for the second meeting shall be the simple majority of the total elected members.

(6) Every candidate for the office of Up-Pradhan shall be nominated in writing and the nomination paper in Form 39-B shall be signed by at least one member as a proposer. No member shall be allowed to propose more than one candidate. The nomination paper shall be delivered to the Presiding Officer within one hour after the starting of the meeting. Any nomination paper subscribed and delivered in contravention of these rules shall be invalid and declared as such by the Presiding Officer.

(7) Scrutiny of nomination papers shall be taken up by the Presiding Officer after the expiry of one hour allotted for the delivery of nomination papers in the presence of members. An objection to any nomination paper shall be recorded by the Presiding Officer who after proper consideration shall accept or reject each nomination. In case of rejection of any objection he shall record the reason for the same.

(8) The Presiding Officer of the meeting shall read out in the meeting—

(a) the names of the candidates whose nomination papers have been declared invalid and the reason therefor; and

(b) the names of the candidates duly nominated.

(9) If there is only one candidate for election he shall be declared to have been duly elected.

(10) If the number of candidates are more than one, the election shall be held by secret ballot.

(11) The Presiding Officer shall assign serial number to each candidate with reference to their names written alphabetically in Hindi in Devnagri script and announce to the members serial numbers assigned to each candidate.

(12) The Presiding Officer shall cause the ballot paper to be prepared in the following form :—

BALLOT PAPER

Names of candidates for election of Up-Pradhan of Gram Panchayat....., Development Block....., District.....

1.
2.
3.
and so on

Dated..... .....
Signature of the Presiding Officer of the meeting with his official seal.

(13) The ballot paper shall be signed by the Presiding Officer of the meeting and one paper handed over to each member who shall put a cross (×) against the candidate for whom he wishes to vote. If a member is unable due to illiteracy, blindness or his physical infirmity to record his vote, the Presiding Officer of the meeting shall record the vote on ballot paper according to the wish of the such member. The ballot paper shall not be signed by the member nor be marked in any other way that could reveal his identity. If the paper is so signed or marked or mutilated, the vote shall be void.

(14) The ballot paper shall be inserted in the box provided for the purpose.

(15) (i) Immediately after the voting is over, the Presiding Officer shall in the presence of the members present open the box containing the ballot papers, count them and record the number thereof in a statement.

(ii) a ballot paper shall be invalid :—

(a) if it bears the signature of the member or contains any word, or any visible representation by which he can be identified; or

(b) if marks are placed thereon against more than one candidate; or

(c) if the mark is so placed thereon as to make it doubtful for which one or two or more candidates the vote was intended to be given; or

(d) if no mark is placed thereon; or

(e) if it does not bear the signature of the Presiding Officer.

(16) At the end of the poll the Presiding Officer shall declare the candidate who secures the largest number of votes to be duly elected.

(17) In case of equality of votes, the election shall be decided by lot to be drawn by the Presiding Officer.

(18) The Presiding Officer shall keep order in the meeting and ensure that the election is fairly conducted.

(19) Immediately after the conclusion of the meeting the Presiding Officer shall :—

(a) prepare a record of the proceedings of the meeting and sign it. Any member in the meeting shall be permitted to affix his signature to such record, if he so desires; and

(b) publish on the notice board of the Gram Panchayat a notice in Form 39-C signed by him as a prescribed authority as per provisions of section 126 of the Act stating the name of person elected as Up-Pradhan and send a copy of such notice to the District election Officer (Panchayat).

(20) (a) The Presiding Officer shall then make up into separate packets the counted and rejected ballot papers relating to election, seal each packet and note thereon description of its contents, the election to which it relates and the date thereof. The packets so sealed shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced except under the orders of the competent court.

(b) The ballot paper shall remain in safe custody of the District Election Officer (Panchayat) for one year and shall thereafter be destroyed unless otherwise directed by a competent court or pending legal proceedings.

Amendment of rule 85.

**4.** In rule 85 of the said rules,—

(a) after sub-rule (1-A), the following sub-rule (1-B) shall be inserted, namely:—

"(1-B) As soon as possible but not later than seven days after the declaration of occurrence of the casual vacancy in the office of the Chairman or the Vice-Chairman or both, as the case may be, the Deputy Commissioner concerned or any other officer, except the Secretary of the Panchayat Samiti, authorised by him in this behalf shall call under his presidentship a meeting of all elected members to elect the Chairman or the Vice-Chairman or both, as the case may be:

Provided that if, owing to a natural calamity of great severity or a grave situation of law and order or a war or aggression by another country against India affecting the relevant area in Himachal Pradesh or any other cause beyond human control, it is not possible to hold such meeting within seven days, the Government may allow such meeting to be held after seven days but not later than thirty days after the occurrence of the vacancy in question.";

(b) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) There shall no quorum required for the meeting for the purpose of oath or affirmation of allegiance under sub-rule (1). Quorum for the meeting for the purpose of election of Chairman or Vice-Chairman or both, as the case may be, shall be two-third of the total

two hours after

meeting, the

eting shall be

adjourned. In the event of adjournment of the meeting for want of quorum, the second meeting shall be convened within ten days from the date of first meeting. Quorum for the second meeting shall be the simple majority of the total elected members."; and

(c) in sub-rule (9), clause (ii) shall be deleted.".

5. In rule 86 of the said rules,— Amendment of rule 86.

(a) after sub-rule (1-A), the following sub-rule (1-B) shall be inserted, namely:—

"(1-B). As soon as possible but not later than seven days after the declaration of occurrence of the casual vacancy in the office of the Chairman or the Vice-Chairman or both, as the case may be, the Deputy Commissioner concerned or any other officer, except the Chief Executive Officer and the Secretary of the Zila Parishad, authorised by him in this behalf shall call under his presidentship a meeting of all elected members to elect the Chairman or the Vice-Chairman or both, as the case may be:

Provided that if, owing to a natural calamity of great severity or a grave situation of law and order or a war or aggression by another country against India affecting the relevant area in Himachal Pradesh or any other cause beyond human control, it is not possible to hold such meeting within seven days, the Government may allow such meeting to be held after seven days but not later than thirty days after the occurrence of the vacancy in question.";

(b) for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) There shall no quorum required for the meeting for the purpose of oath or affirmation of allegiance under sub-rule (1). Quorum for the meeting for the purpose of election of Chairman or Vice-Chairman or both, as the case may be, shall be two-third of the total

elected members. If within two hours after the time appointed for the meeting, the quorum is not present, the meeting shall be adjourned. In the event of adjournment of the meeting for want of quorum, the second meeting shall be convened within ten days from the date of first meeting. Quorum for the second meeting shall be the simple majority of the total elected members."; and

(c) in sub-rule (9), clause (ii) shall be deleted.".

Substitution of rule 92.

**6.** For rule 92 of the said rules, the following shall be substituted, namely :—

"92. *Accounts of election expenses and maximum limit thereof.*— (1) Every candidate at an election of member of Zila Parishad shall, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 121-A of the Act, maintain a separate and correct account of all expenditure on day-to-day basis in connection with the election in the register in Form-44 :

Provided that the maximum limit on expenditure to be incurred by a contesting candidate at an election of member of Zila Parishad shall be thirty thousand rupees.

(2) All documents such as vouchers, receipts and acknowledgements, etc., in support of the expenditure incurred and recorded on the register mentioned under sub-rule (1) shall be maintained correctly. Every candidate shall, at any time during the process of election, make available the register along with the supporting documents to the District Election Officer (Panchayat) or any other officer authorised by the State Election Commission in this behalf for inspection as and when required by such officer.

(3) The account of election expenditure shall be submitted to the District Election Officer (Panchayat) in Form-44 alongwith the details of election expenses in Form-45. The account of election expenditure shall be supported by a declaration in Form-46.

(4) The District Election Officer (Panchayat) shall acknowledge the accounts of election expenses in Form-47.".

7. For Form-2 appended to the said rules, the following shall be substituted, namely :—

"FORM-2

[*See* rule 18(1) and 24]

CLAIM APPLICATION FOR INCLUSION OF NAME

To

The Revising Authority,
Gram Panchayat.....
Development Block.....
District....., Himachal Pradesh.

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the.....constituency relating to Gram Panchayat.....

My name (in full) .....
My father's/mother's husband's Name .....
Particulars of my place of residence are :
House No. .....
Street/Mohalla/Village .....
Post Office .....
Tehsil and District .....

I hereby declare to the best of my knowledge and belief, that :—

(i) I am a citizen of India.

(ii) My age on.....*i.e.* the date notified by the State Election Commission under clause (e) of rule 14 was/will be.....years.....months.

(iii) I am an ordinarily resident of the address given above.

(iv) I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency.

(v) My name has not been included in the electoral roll for any constituency of the above mentioned Gram Panchayat or any constituency of any other Gram Panchayat in Himachal Pradesh.

OR

That my name has been included in the electoral roll for the Ward Number..... of Gram Panchayat.....Development Block.....District.....at Serial No.....

and I hereby request that the same may be excluded from that electoral roll.

Place :
Date :

*Signature/Thumb impression of claimant*.....
*(Full postal address)*.....
.....
.....
.....

I am an elector included in the electoral roll of the same part in which the claimant has applied for inclusion *viz.* Part No.....relating to.....my serial number therein to .....support his claim and countersign it.

.....
*Signature of the elector.*

DECLARATION

I hereby declare that I am aware that in case any of the information given by me above is proved to be wrong, I shall be liable to criminal action under various sections of the Indian Penal Code.

.....
*Signature of the claimant.*

.....
Strike off the inappropriate words.".

Amendment in Form-18.

**8.** In Form-18 of the said rules, for the words "*Signature of Proposer*" the words *"Name and Signature of Proposer"* shall be substituted.

Addition of Forms-39-A, 39-B and 39-C.

**9.** After Form 39 of the said rules, the following forms shall be added, namely :—

---

Form-39-A

[*See* rule 84-A (2)]

ELECTION OF UP-PRADHAN OF GRAM PANCHAYAT

To

Sh./Smt./Kumari.....
Member,

Gram Panchayat.....,
Development Block.....,
District....., H.P.

In pursuance of sub-rule (1) of rule 84-A of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, I, ..... (prescribed authority), do hereby give notice that a meeting of the Gram Panchayat shall be held on.....(date) at..... (hours) at the.....(place) to elect Up-Pradhan of Gram Panchayat under section 8 of the Act.

Place..... .....
Dated..... Prescribed Authority.

---

Form 39-B

[*See* rule 84-A (6)]

FORM OF NOMINATION PAPER FOR ELECTION FOR THE OFFICE OF UP-PRADHAN GRAM PANCHAYAT

Name of Gram Panchayat .....
Name in full of candidate .....
Sl. No. of the vote list with particulars thereof .....
Father's name/Husband's name .....
Full address .....
Name of proposer .....
.....
Signature of Proposer.

Place.....
Date.....

DECLARATION OF CANDIDATE

I hereby declare that I agree to the nomination and I am willing to serve.

.....
Signature of Candidate.

Place.....
Date.....

Form 39-C

[*See* rule 84-A (19) (b)]

## PUBLICATION OF RESULT OF UP-PRADHAN OF GRAM PANCHAYAT

In exercise of the powers conferred by section 126 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (No. 4 of 1994), I................................ (presiding officer/prescribed authority)..........................District, hereby publish the election result of Up-Pradhan of Gram Panchayat, Development Block..................................District............................

| Sl. No. | Name with name of Father/ Husband and Address | Name of the office *viz.* Up-Pradhan | Elected |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

..........................................

Place ................................ 

Dated...............................

Presiding Officer/
Prescribed Authority.
(with full name and designation)

Amendment in Fom-41.

**10.** In Form-41 of the said rules,—

(a) for the words "Name in full of proposer" the words "Name of proposer in full" shall be substituted;

(b) for the words "Name in full or seconder" the words "Name of seconder in full" shall be substituted; and

(c) for the words "*Signature of Proposer*" the words "*Signatures of Proposer and Seconder*" shall be substituted.

**11.** After Form-43 of the said rules, the following Forms shall be added, namely :— Addition of Foms-44, 45, 46 and 47.

---

Form-44

[*See* rule 92 (1) and 92 (3)]

FORM FOR MAINTENANCE OF DAY-TO-DAY ACCOUNT OF ELECTION EXPENDITURE AND SUBMISSION THEREOF

1. Name of the Panchayat.....

2. Name of the candidate.....

3. Number and name of the constituency.....

4. Date of filing of nomination.....

5. Date of declaration of result.....

| Sl. No. | Date of expenditure | Nature of expenditure | Amount of expenditure | | Date of Payment | Name and address of Payee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Paid | Outstanding | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| No. of vouchers in case of amount paid | No. of bills in case of amount outstanding | Name and address of person to whom the amount outstanding is paybale | Remarks |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | |

Certified that this is a true copy of the account kept by me/my election agent.

Signature of the candidate.

Form-45

[*See* rule 92 (3)]

DETAILS OF ELECTION EXPENSES

1. Name of the Panchayat.....
2. Name of the candidate.....
3. Number and name of the constituency.....
4. Date of filing of nomination.....
5. Date of declaration of result.....

| Item of expenditure | Sources from where money procured | Amount of expenditure | Date(s) of payment | Mode of payment | Evidence of payment enclosed with the account | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Expenditure on security deposit. | | | | | | |
| 2. Expenditure on purchase of copies of electoral rolls. | | | | | | |
| 3. Expenditure on printing of manifestos, posters, hand bills etc. | | | | | | |
| 4. Expenditure on pasting of posters. | | | | | | |
| 5. Expenditure on wall writing and publication of advertisements. | | | | | | |
| 6. Hiring charges of places for public meetings, pandals etc. | | | | | | |
| 7. Hiring charges of loudspeakers for public meetings. | | | | | | |
| 8. Hiring expenditure on account of vehicle, petrol, oil and lubricants, repairs etc. by the candidate. | | | | | | |
| 9. Hiring charges, repairs and petrol, oil and lubricants on vehicle used by the election agent/polling agent. | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Miscellaneous expenses other than those listed above. | | | | | | |

Signature of the candidate.

---

Form-46

[*See* rule 92 (3)]

FORM OF DECLARATION

Before the District Election Officer (Panchayat).....
Constituency.....of.....(Name of the Panchayat).

Declaration of Shri/Smt./Km.....son/wife/daughter of Shri.....

I,.....son/wife/daughter of Shri.....aged.....years.....resident of.....do hereby solemnly affirm and declare as under:—

1. That I was a candidate at the general election/bye-election to the constituency of..... (Name of the Panchayat), the result of which was declared on.....

2. That I/my election agent kept a separate and correct account (running into.....pages) of all expenditure in connection with the above election incurred or authorised by me or by my election agent between.....(the date of nomination) and.....(the date of declaration of result thereof), both days inclusive.

3. That the said account was maintained in the Form prescribed under rule 92 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and a true copy thereof is annexed hereto with the supporting vouchers/ bills mentioned in the said account.

4. That the account of my election expenditure annexed hereto includes all items of election expenditure incurred or authorised by me or by my election agent and nothing has been concealed or withheld/suppressed therefrom.

5. That the statements in the foregoing paragraphs 1 to 4 are true to my personal knowledge and that nothing is false and nothing material has been concealed.

Deponent.

Solemnly affirmed by.....
on.....this day of 20..... before me.

Signature/Seal of the
District Election Officer (Panchayat),
District....., Himachal Pradesh.

---

Form-47
[*See* rule 92 (4)]
ACKNOWLEDGEMENT

The detailed account of the election expenses and the supporting declaration on the prescribed Forms in respect of Shri..... (contesting candidate) from..... (Constituency) result of which was declared on..... (date) filed by him on..... (date) has been received by me today the..... (date) of (month)..... (year).

District Election Officer (Panchayat),
District....., Himachal Pradesh.

By order
Sd/-
*Principal Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित